

UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

GS Paper - III : INTERNAL SECURITY

1



Dr. S. S. Pandey



2



Dr. S. S. Pandey

**Various Security forces
and agencies and their
mandate**



3

UPSC - CSE में
पूछे गए प्रश्न



8

UP PCS में
पूछे गए प्रश्न



4

- भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त **केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों** की भूमिका बताइए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

15/2023

9

- भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिए। 125/8/2023

- वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है ? इसको समझाइए। 200/12/2020

5

- भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (य.ए.पी.ए.), 1967 और **एन.आइ.ए. अधिनियम** के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

15/2019

10

- 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है। इन संशोधन के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? विश्लेषण करें। (2019)

- भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। (2019)

11

भारत में सुरक्षाबल एवं संस्थाएँ
और उनके अधिदेश

16



3.

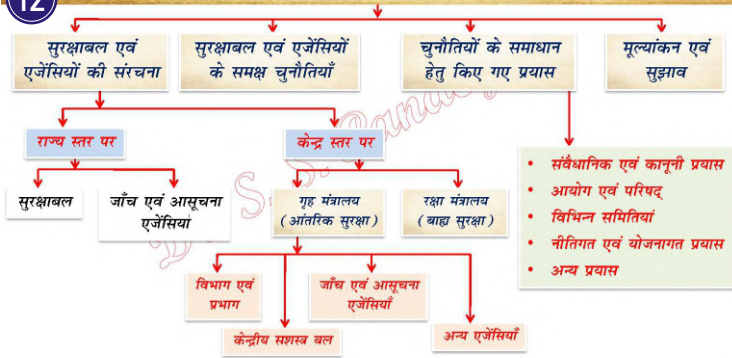
Home
Guard

(1966)

5,73,793

12

भारत में सुरक्षाबल एवं संस्थाएँ और उनके अधिदेश



17



4.

STF

13

राज्य स्तर पर

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा)

18



5.

CID

Investigation
&
Intelligence
Agency

14



राज्य पुलिस
बल -
19,89,000

19

6. कुल पुलिस स्टेशन - 15,579
7. कुल महिला पुलिस स्टेशन - 613
8. कुल साइबर सेल - 114
9. कुल महिला पुलिस - 1,40,000
10. प्रतिलाख आबादी पर पुलिस संख्या - 123

15



राज्य सशस्त्र
पुलिस बल
4,75,000

20

केन्द्रीय स्तर पर

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा)



21

26

11. मानवाधिकार प्रभाग

12. नीति नियोजन प्रभाग

13. साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग

14. आतंकवाद रोधी एवं कट्टरवादरोधी प्रभाग

15. महिला सुरक्षा प्रभाग

22

गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा)



27

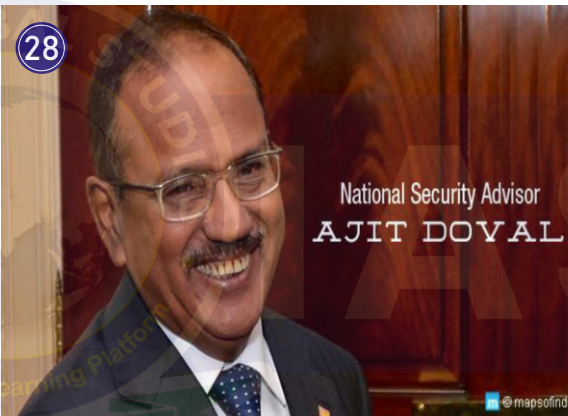
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
(National Security Council) - 1998

- मुख्य कार्यकारी - प्रधानमंत्री
- प्रमुख कार्य - देश की रानीतिक, आर्थिक, ऊर्जा तथा सामरिक सुरक्षा चिंताओं की देख-रेख करना

23

विभाग एवं प्रभाग

28

राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार

NSC के कार्यकारी (PM) को सुरक्षा संबंधी सुझाव देते हैं
वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजित डोमाल

24

1. प्रशासन प्रभाग

2. आंतरिक सुरक्षा प्रभाग

3. केन्द्र-राज्य प्रभाग

4. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग

5. सीमा प्रबंधन प्रभाग

29

राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार बोर्ड

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का समूह जो देश में सुरक्षा संबंधित नीतियों के निर्माण हेतु सलाह/सुझाव/प्रस्ताव प्रस्तुत करता है

25

6. वामपंथी उग्रवाद प्रभाग

7. पुलिस प्रभाग

8. पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

9. पूर्वोत्तर प्रभाग

10. आपदा प्रबंधन प्रभाग

30



केन्द्रीय सशस्त्र बल

A. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल-5
CRPF, ITBP, SSB, BSF, CISFB. केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल
असम रायफल, राष्ट्रीय रायफल, SFF

31



Assam Rifles

1.

Assam Rifles

(1935 - 1917)

63,747

36



संरक्षण एवं सुरक्षा

6.

CISF

(1969)

1,50,810

32



CRPF

2.

CRPF

(1939 - 1949)

3,19,501

37



7.

IRB

1971

66,000

33



ITBP

3.

ITBP

(1962)

89,433

38



8.

NSG

(1984)

34



SSB

4.

SSB

(1963 - 2001)

77,080

39



9.

RAF

(CRPF)

(1991 - 92)

35



5.

BSF

(1965)

2,56,701

40



10.

तटीय पुलिस

(MHA)

183



11.

RPF
(MR)

before 1947

65,000

42

रक्षा मंत्रालय
भारतीय सशस्त्र बल

43

रक्षा मंत्रालय - भारतीय सशस्त्र बल

India Army

Indian Navy

Indian Air Force

Others

44

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

24 दिसम्बर 2019 को CDS पद का सृजन
1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत प्रथम CDS नियुक्त
यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर
त्रिसेना प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम
वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं
(एक चार सितारा जनरल एवं त्रिकोणीय सेना प्रमुख)

45

कार्य

1. रक्षा बलों का नेतृत्व

2. भारत सरकार
रक्षा मंत्री की सैन्य सलाह3. परमाणु कमान प्राधिकरण के लिये
प्रधानमंत्री को सैन्य सलाह

46

4. सेना के तीनों अंगों के मध्य समन्वयक

5. रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण
परिषद के सदस्य

6. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष

7. CDS किसी भी सैन्य कमांड का प्रयोग नहीं करेगा

47

India Army

- 13,25,000 (Active)
- 21,43,000 (Reserve)

48

India Army

- Headquarter - New Delhi
- 1. Central Command - Lucknow
- 2. Eastern Command - Kolkata
- 3. Northern Command - Udhampur
- 4. Southern Command - Pune
- 5. South Western Command - Jaipur
- 6. Western Command - Chandimandir
- 7. Army Training Command - Shimla

49

Indian Air Force

- 127200 (Active)
- 1704 (Reserve)

50

Indian Air Force

- Headquarter - New Delhi
- 1. Central Air Command - Allahabad
- 2. Eastern Air Command - Shillong
- 3. Southern Air Command - Thiruvananthapuram
- 4. South Western Air Command - Gandhi Nagar
- 5. Western Air Command - New Delhi
- 6. Training Command - Bangalore



4.

ICG

(1978)

13,842

52

Indian Navy

- Headquarter - New Delhi
- 1. Western Naval Command - Mumbai
- 2. Eastern Naval Command - Visakhapatnam
- 3. Southern Naval Command - Kochi

57



5.

RR

(1990)

80,000

53



Others

1.

NCC

(1948)

13,00,000

58

रक्षा बजट (2024)

- भारत - 74.8 Billion US Dollar
- चीन - 700 Billion US Dollar
- पाकिस्तान - 6.47 Billion US Dollar

54



2.

TA

(1949)

40,000

59

भारत - चीन - पाकिस्तान
सैन्य क्षमता : तुलना

55



3.

SFF

(1962)

10,000

60

भारत-चीन-पाकिस्तान सैन्य क्षमता : तुलना

India	Pakistan	China
13,25,000 (Active force) 21,43,000 (Reserve force) 6464 (Tank) 292 (Rocket Launcher) 646 (Helicopter) 629 (Fighter Plane) 2086 (All Type Aircraft) 809 (Attack Aircraft) 02 (Aircraft Carriers) 295 (Ship) 13+1 (Submarines) 01 (Nuclear Powered Submarines) 100 (Nuclear Missile)	6,20,000 (Active force) 5,15,000 (Reserve force) 2924 (Tank) 134 (Rocket Launcher) 306 (Helicopter) 304 (Fighter Plane) 923 (All Type Aircraft) 394 (Attack Aircraft) 0 (Aircraft Carriers) 228 (Ship) 05 (Submarines) 0 (Nuclear Powered Submarines) 120 (Nuclear Missile)	23,00,000 (Active force) 32,50,000 (Reserve force) 9150 (Tank) 1770 (Rocket Launcher) 802 (Helicopter) 1066 (Fighter Plane) 2942 (All Type Aircraft) 1311 (Attack Aircraft) 01 (Aircraft Carriers) 778 (Ship) 68 (Submarines) 10 (Nuclear Powered Submarines) 260 (Nuclear Missile)

61

केन्द्रीय स्तर पर जाँच एवं
आसूचना एजेंसियाँ

66



5.

BPR & D

(Bureau of
Police Research
and
Development)

1970

62



1.

IB

(Intelligence Bureau)

1887-1968

भारत में खुफिया कार्यों का
संपादन और 1968 के बाद
भारत के आंतरिक सुरक्षा
संबंधित कार्यों का संपादन

67

प्रमुख कार्य

1. पुलिस की जरूरत एवं समस्या का पता लगाना
2. इस दिशा में समुचित अनुसंधान करना
3. नवीन चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देना
4. पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर बल देना

63



2.

अनुसन्धान और
विश्लेषण विंग

1968

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर
संस्था जिसका प्रमुख कार्य है
- सूचना एकत्रित करना,
आतंकवाद को रोकना एवं
गुप्त ऑपरेशन को संचालित
करना

68



6.

NCRB

(National Crime
Records
Bureau)

1986

64



3.

CBI

(Central Bureau
of
Investigation)

1941-1963

69

प्रमुख कार्य

देश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध के
आँकड़ों का एकत्रीकरण करना

65



4.

NIA

(National
Investigation
Agency)

2009

70



7.

NCB

(Narcotics
Control Bureau)

1986

71

Law Enforcement Agency**प्रमुख कार्य**

- ड्रग्स उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाना
- नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना एवं इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का क्रियान्वयन करना

76



11.

CEIB

(Central Economic Information Bureau)

1985

72

CENTRAL FINGER-PRINT BUREAU

(CFPB)



8.

CFPB

(Central Finger Print Bureau)

1955

77

1. एक आसूचना एजेंसी

2. प्रमुख कार्य-

काले धन की सूचना एकत्रित करना और आर्थिक अपराध पर नजर रखना

73

यह अपराधियों के फिंगर प्रिंटिंग की खोज का एक देशव्यापी डाटाबेस है और इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा परिकल्पित एवं प्रबंधित किया जाता है

78



12.

FIU

(Financial Intelligence Unit)

2004

74



9.

DIT

(Department of Income Tax)

1922

भारत सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाली एक एजेंसी है

79

1. एक जाँच एजेंसी एवं आसूचना एजेंसी

2. प्रमुख कार्य

संदेहास्पद लेन-देन की सूचना प्राप्त करना, विश्लेषण करना एवं समाधान करना

75



10.

DRI

(Directorate of Revenue Intelligence)

1957

यह एक भारतीय खुफिया एजेंसी है जो तस्करी विरोधी खुफिया, जाँच एवं ऑपरेशन का कार्य करती है

80

3. यह तीन तरह की **Reporting** हेतु आदेश जारी करती है-

- नगदी लेन-देन की रिपोर्ट
- संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट
- नकली मुद्रा रिपोर्ट

81



13.

ED

(Directorate of Enforcement)

1956-57

86



17.

CCTNS

2019

82



14.

CFSL

(Central Forensic Science Lab)

1967

87

1. **Crime & Criminal Tracking Network System** मार्च 2019 से प्रारंभ
2. एकीकृत, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क जिसमें अपराध संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा
3. गृह मंत्रालय के अधीन e-governance की मिशन परियोजना

83



15.

NICFS

(National Institute of Criminology & Forensic Science)

1972

88

प्रमुख कार्य

- रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण
- पुलिस कार्यालय प्रक्रिया का स्वचालन
- IT का प्रयोग करके कार्यप्रणाली में सुधार
- देश के लगभग 15 हजार पुलिस स्टेशनों एवं 6 हजार बड़े कार्यालयों को एक एकीकृत, केन्द्रीकृत एवं राष्ट्रीय प्रणाली से जोड़ा जा रहा है

84



NATIONAL INTELLIGENCE GRID (NATGRID)

16.

NATGRID

2014

89



Dr. S. S. Pandey

Central Bureau of Investigation (CBI) स्वायत्ता का मुद्दा

85

1. राष्ट्रीय स्तर का डाटा संग्रहण केन्द्र
2. **प्रमुख लक्ष्य**- आतंकियों की घुसपैठ रोकना
3. **प्रमुख कार्य**- राष्ट्रविरोधी गतिविधियों / आतंकवाद में संलग्न घरेलू एवं विदेशी व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना
4. इसमें NIA सहित 11 जाँच एजेंसियों को समन्वित किया गया है

90

Central Bureau of Investigation (CBI) - स्वायत्ता का मुद्दा



91

परिचय

96

1. DSPE Act के अनुसार संयुक्त सचिव एवं ऊपर के अधिकारियों की जाँच हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक
2. केन्द्र सरकार पर आर्थिक निर्भरता
3. केन्द्र सरकार पर प्रशासनिक निर्भरता

- फलतः सरकार पर CBI के दुरुपयोग का आरोप
- फलतः CBI का स्वायत्ता देने की मांग और SC द्वारा समर्थन

92

1. DSPE ACT 1941 के अनुसार गठन
2. 1963 में CBI नामकरण
3. 1968 के बाद आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यों का संपादन

97

CBI के स्वायत्ता के
विपक्ष में तर्क

93

प्राप्त अधिकार

98

1. शक्ति के दो ध्वों का विकास – फलतः टकराव
2. शक्ति के केन्द्रीकरण को बढ़ावा – फलतः निरंकुशता
3. लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध

94

1. FIR दर्ज करने का अधिकार
2. अपराधिक जाँच एवं गिरफ्तारी का अधिकार
3. राज्य के ऊपर विशेषाधिकार
4. विशेष न्यायालय के गठन का अधिकार
5. भारत में INTERPOL की इकाई के रूप में कार्य

99

CBI के स्वायत्ता के
पक्ष में तर्क

95

CBI संबंधित विवाद का
मुद्दा

100

1. निष्पक्ष जाँच संभव होगी व न्याय को बढ़ावा मिलेगा
2. वर्तमान संदर्भ में विधि प्रवर्तन व आंतरिक सुरक्षा हेतु स्वायत्ता आवश्यक है
3. जनता में CBI की विश्वसनीयता के लिए स्वायत्ता आवश्यक है
4. किसी संस्था के विशेषाधिकार का दुष्परिणाम कर्तव्यहीनता का दुष्परिणाम होता है न कि विशेषाधिकार का

101

निष्कर्ष एवं सुझाव

CBI को नियंत्रित स्वायत्ता मिलनी चाहिए

106



Dr. S. S. Pandey

National Investigation Agency
(NIA)

102

CBI के स्वायत्ता का स्वरूप / सुझाव

1. उच्च पद के अधिकारियों के जाँच हेतु सरकारी अनुमति की समाप्ति हो (2014 में SC के निर्णय द्वारा समाप्त)

107

परिचय

103

2. निदेशक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल द्वारा हो (DSPE Act, 2013 के द्वारा CBI के निदेशक की नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल द्वारा प्रारंभ - पैनल के सदस्य हैं- PM, विपक्ष का नेता, उच्चतम न्यायालय का मुख्य या अन्य न्यायधीश)
3. वेतन एवं खर्चे संचित निधि पर भारित हो

108

1. CBI के बाद दूसरी ऐसी संस्था जिसे राज्य की अनुमति के बिना जाँच करने का अधिकार
2. नवम्बर, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद 'राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम 2008' द्वारा 2009 में गठन

104

4. निदेशक को SC की अनुमति से हटाया जाय

109

प्राप्त अधिकार

105

6. भ्रष्टाचार के अलावा अन्य मामलों में भी शिकायत पर CBI को सीधी कार्यवाही का अधिकार दिया जाय और इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुमति लेने के प्रावधान को समाप्त किया जाय
7. CBI के वार्षिक रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाए

110

1. राज्य के बिना अनुमति के आतंकवाद से निपटने की शक्ति प्राप्त
2. FIR दर्ज करने, गिरफ्तार करने, जब्ती करने की शक्ति प्राप्त
3. विशेष न्यायालय के गठन की शक्ति प्राप्त

111

प्रमुख कार्य

112

1. आतंकवाद का मुकाबला करना, संभावित आतंकी समूहों एवं इनकी गतिविधियों का पता लगाना
2. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **कायंबल** का विकास करना

113

3. आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का **डाटा बेस** बनाना
4. **अन्य देशों** में आतंकवाद से संबंधित कानून का अध्ययन एवं उनके अनुरूप भारतीय **कानून** की पर्याप्तता का **मूल्यांकन** करना

2019 में NIA संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और NIA के कार्यों को विस्तारित किया गया; जैसे-

114

1. NIA को कुछ **अतिरिक्त अपराधों** की जांच का अधिकार दिया गया-
 - मानव तस्करी
 - जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध
 - प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री
 - साइबर आतंकवाद
 - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध

115

2. NIA के अधिकार क्षेत्र का भी विस्तार किया गया-
 - NIA के पास पूरे भारत में ऐसे अपराधों की जांच के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान अधिकार
 - NIA के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच का अधिकार
 - यदि अपराध भारत में किया गया है तो केन्द्र सरकार NIA को ऐसे मामलों की जांच करने का निर्देश दे सकती है

116

समीक्षा एवं सुझाव

117

1. मानव बल में वृद्धि किया जाए (649 कर्मचारी)
2. संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि किया जाय
3. केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाय
4. अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाय

118



Dr. S. S. Pandey

प्रवर्तन निदेशालय

Enforcement Directorate

(ED)

119



1956

प्रवर्तन
निदेशालय
Enforcement
Directorate
(ED)

120



भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक बहु-अनुशासनिक संगठन जो धन-शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है और जो निम्न विधियों को लागू कराती है-

1. FEMA - 1999
2. PMLA - 2003
3. FEOA - 2018

121

प्रमुख कार्य

1. **FEMA - 1999** के उल्लंघन से संबंधित सूचना का संग्रहण, विकास और प्रचार-प्रसार करना
2. हवाला, विदेशी मुद्रा, धोखा-धड़ी, निर्यात आय की वसूली न किया जाना, विदेशी मुद्रा को वापस लाया जाना जैसे गतिविधियों और FEMA - 1999 के उपबंधों के उल्लंघन की जाँच पड़ताल करना



126

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ / समस्याएँ

सुरक्षा बलों से संबंधित समस्याएँ

आसूचना प्रणाली से संबंधित समस्याएँ

जाँच एजेंसियों से संबंधित समस्याएँ

समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास

122

3. पूर्ववर्ती **FERA - 1973** और **FEMA - 1999** के उल्लंघन के मामलों का न्याय निर्णय करना
4. न्याय निर्णयन कार्यवाहियों का समापन पर लगाई गई दण्ड शास्तियों की वसूली करना
5. **FEMA - 1999** के तहत न्याय निर्णयन, अपील और अभियोजन संबंधी मामले को निपटाना

127

सुरक्षा बल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ/समस्याएँ



123

6. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक रोक के लिए कार्यवाही करना
7. **Prevention of Money Laundering Act** के तहत अपराध करने वालों के विरुद्ध **सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन** संबंधी कार्यवाही करना

128

1. पुलिस बलों की अपर्याप्त संख्या (123 / लाख) जबकि विश्व औसत 231 / लाख
2. स्वायत्ता की समस्या और बाह्य दबाव में काम करने को विवश
3. आसूचना तकनीक, हथियार, सैन्य सुरक्षा प्रणाली, सैन्य प्रशिक्षण तकनीक के आधुनिकीकरण का अभाव
4. दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के कारण असंतोष

124

8. **FEOA** के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्तियों को कुर्क करना
9. अपराधिक कार्यवाहियों तथा **PMLA** के तहत आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यार्पण और उनकी जब्ती से संबंधित मामलों में संबंधित देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना

129

5. पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय की कमी
6. आसूचना की समस्या
7. भ्रष्टाचार की समस्या
8. जनता के बीच विश्वसनीयता की कमी
9. वित्त का अभाव

125



Dr. S. S. Pandey

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ/समस्याएँ



130

सुरक्षा बलों की समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास



131

1. India Reserve Battalion का गठन

2. NSG, RAF, COBRA etc.

3. AFSPA - 1958

4. UAPA (Unlawful Activities Prevention Act), 1967

132

5. MCOCA - 1999, KCOCA - 2001, DCOCA GUJCOC- 2016 आदि

6. राष्ट्रीय पुलिस मिशन - 2009

7. केन्द्रीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण योजना, 2014

133

8. विद्रोहरोधी व आतंकरोधी (CIAT) स्कूल, 2015

9. निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005

10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

136

- मानव संसाधन विकास
- सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था
- संचार एवं प्रौद्योगिकी विकास
- अवसंरचना विकास
- नवीन प्रक्रियाएँ
- उपचारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भावी चुनौतियों की पहचान

137



Dr. S. S. Pandey

AFSPA - 1958

AFSPA - 1958

138

परिचय

विवाद के बिन्दु

AFSPA के पक्ष में तर्क

प्राप्त अधिकार

AFSPA समाप्त करने के पक्ष में तर्क

निष्कर्ष

134



Dr. S. S. Pandey

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

139

परिचय

135

1. BPR & D का एक प्रभाग

2. 2009 में स्थापित

3. प्रमुख लक्ष्य- पुलिस बलों को अत्यधिक प्रभावी बनाना

इसके तहत 6 Micro Mission कार्यरत-

140

1. सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार द्वारा 1942 में पारित एवं लागू

2. सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958

141

प्राप्त अधिकार

146

- 2012 में UN द्वारा इसे निरस्त करने की माँग
- 2012 में उमर अब्दुल्ला एवं 2015 में मुफ्ती मो. सईद द्वारा जम्मू-कश्मीर से इस कानून को हटाने का आश्वासन
- 17 फरवरी, 2016, PDP की ओर से AFSPA हटाने की माँग

142

1. किसी क्षेत्र को केवल केन्द्र द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित करके सुरक्षा बलों की तैनाती
2. बिना वारंट घर, वाहन एवं संपत्ति की छान-बीन करने एवं बिना वारंट गिरफ्तार करने, जब्ती करने एवं संदेह पर गोली चलाने का अधिकार (धारा-4)

147

AFSPA समाप्त करने के पक्ष में तर्क

143

3. असीमित समय तक किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखने का अधिकार (धारा-5)
4. सुरक्षाबलों के कृत्य के विरुद्ध जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु केन्द्र की अनुमति जरूरी (धारा-6)

148

1. मानवाधिकार का उल्लंघन
2. लोगों का उत्पीड़न
3. लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत
4. शक्ति के केन्द्रीकरण को बढ़ावा

8 जुलाई, 2016 को S.C. ने मणिपुर में 2000-2012 तक सुरक्षा बलों द्वारा की गयी 1528 हत्या की जाँच कराने हेतु दायर याचिका पर कहा कि- AFSPA के तहत सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग मान्य नहीं

144

विवाद के बिन्दु

149

AFSPA के पक्ष में तर्क

145

1. धारा-4, 5, 6 के प्रावधान
2. विशेष रूप से धारा-6 का प्रावधान
3. सुरक्षा बलों द्वारा इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग
4. मानवाधिकारों का उल्लंघन व उत्पीड़न

2004 में गठित B.P. Jeevan Reddy कमेटी की रिपोर्ट (2005) व 2nd ARC द्वारा इसमें सुधार की सिफारिश

150

1. आंतरिक सुरक्षा हेतु अनिवार्य
2. व्यवहार में सफल
 - पंजाब
 - जम्मू-कश्मीर
 - त्रिपुरा

151

3. Supreme Court द्वारा इस कानून को मान्यता (Naga Peoples Movement Vs Union of India Case)
4. स्वायत्ता की आवश्यकता के अनुरूप
5. नकारात्मक परिणाम कर्तव्यविहिता के परिणाम हैं

156

1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम भारत में गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से लागू कानून है

मुख्य उद्देश्य

‘भारत की अखंडता’ और ‘संप्रभुता के खिलाफ’ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए सेना को शक्तियाँ उपलब्ध कराना है

152

निष्कर्ष

157

प्रमुख प्रावधान

153

वर्तमान भारत में आंतरिक सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए इसे समाप्त नहीं किया जाय- परन्तु **B.P. Jeevan Reddy** समिति की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में इसकी समीक्षा अवश्य की जाय

158

1. ‘गैरकानूनी गतिविधियों’ और ‘आतंकवादी कृत्यों’ के कमीशन, फंडिंग और समर्थन को रोकने का प्रावधान
2. किसी संगठन को ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में नामित करने के लिए ‘परिभाषाएँ’ और ‘नियम’ बनाने का प्रावधान

154

**Dr. S. S. Pandey**

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम
The Unlawful Activities (Prevention) Act
UAPA - 1967

159

3. यह कानून ‘गैरकानूनी गतिविधि’ को निम्न रूप में परिभाषित करता है-

“किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही ‘जो किसी कार्य, शब्दों, बोले या लिख गए, या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का संघ से पृथक्करण, या जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ऐसा पृथक्करण या पृथक्करण लाने के लिए उकसाता है या ऐसा दावा करने का समर्थन करता है।”

155

परिचय

160

4. इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो-

“भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करती हैं, प्रश्न करती हैं, बाधित करती हैं या बाधित करने का इरादा रखती हैं, और जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनती हैं या पैदा करने का इरादा रखती हैं।”

161

5. अभियोजन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की अनुमति आवश्यक

(धारा 13)

6. अभियोजन पक्ष के लिए, संबंधित राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक

(धारा 16, 17 और 18)

166

• 2004 में एएपीए में संशोधन और 'आतंकवादी गतिविधियों' को इसके दायरे में लाया गया,

(जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया)

162

7. आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक से पूर्व अनुमति की जरूरत

(2019 के बाद NIA के महानिदेशक से अनुमति की जरूरत)

167

• 2019 में हुए संशोधन के तहत कुछ नए प्रावधान शामिल:—

1. केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है; यदि वह:—

163

सजा का प्रावधान

168

(i) आतंकवादी कृत्य करता है या उसमें भाग लेता है,

(ii) आतंकवाद के लिए तैयारी करता है,

(iii) आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या

164

1. यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी कार्य करता है, तो उसे सात साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान

2. एसी आतंकवादी गतिविधियों, जिसमें मृत्यु हो जाए तो आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा का प्रावधान

3. अन्य आतंकवादी गतिविधियों के लिए 5 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान

169

(iv) यह संशोधन केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह किसी को भी 'व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी' घोषित कर सकती है।

(धारा 35)

165

प्रमुख संशोधन

170

2. अधिनियम के तहत, एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

संशोधित नए कानून के अनुसार— यदि जाँच NIA के किसी अधिकारी द्वारा की जाती है, तो एसी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

171

3. अधिनियम के तहत, मामलों की जाँच उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।
नया संशोधन अतिरिक्त रूप से **NIA** के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को अब मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है।

176

जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता एवं
आधुनिकीकरण हेतु किए गए प्रयास

172

2019 के संशोधन के बाद निश्चित तौर पर **UAPA** का सशक्तिकरण संभव हुआ है परन्तु इसकी कई **आलोचना** भी की जा रही है—

177

जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता व आधुनिकीकरण हेतु किए गए प्रयास

राष्ट्रीय बम आँकड़ा
केन्द्र

NIA का गठन

UAPA & NIA में
संशोधन एवं ED का
सशक्तिकरण

173

1. **UAPA** में हुए नए बदलावों के तहत **NIA** के पास असीमित अधिकार आ गए हैं और वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकती है।

2. केंद्र सरकार, विपक्षी दल, अल्पसंख्यक समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कानून का डर दिखाकर धमका सकती है और उन्हें जेल में डाल सकती है।

178

राष्ट्रीय बम आँकड़ा केन्द्र

174

3. यह कानून **असहमति के अधिकार** पर प्रतिबंध लगाता है और इस प्रकार **अनुच्छेद 19(1)(A)** के तहत भाषण और **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** के अधिकार का उल्लंघन करता है।

4. बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी न्यायिक विचार के किसी को 'आतंकवादी' के रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति 'आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों' के खिलाफ है।

179

1. **1996 में स्थापित**— एक जाँच एजेंसी एवं आसूचना एजेंसी
2. **NSG** के अधीन कार्यरत एवं गुड़गाँव में स्थित विश्व स्तरीय बम आँकड़ा केन्द्र
3. **प्रमुख कार्य**— विस्फोट के बाद वस्तु स्थिति का अध्ययन करना
4. यह विस्फोट एवं विस्फोट की घटना का डाटा बैंक एवं '**वैश्वीक बम आँकड़ा केन्द्र**' से संबंधित

175

हाल के वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए निष्कर्ष है कि **UAPA** भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। **मार्च 2023** में उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में **UAPA** को संवैधानिक माना है।

180

आसूचना एजेंसियों के
आधुनिकीकरण हेतु प्रयास

181

आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण हेतु प्रयास

CCTNS, 2009

NATGRID, 2014

तलाश सूचना प्रणाली
व आग्नेयास्त्र समन्वय
प्रणाली

MAC, 2008

रंगीन चित्र निर्माण
प्रणाली

186

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली

182

CCTNS, 2009

187

अपराधियों एवं लापता व्यक्तियों का चित्र निर्माण
एवं जाली नोट संबंधी आँकड़ों का संग्रहण

183

MAC, 2008

188

तलाश सूचना प्रणाली एवं
आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

184

1. **Multi Agency Center-** आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित आसूचना का मिलान, विश्लेषण एवं प्रसार करने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित करने हेतु MAC का 2008 में गठन और राज्य स्तर पर SMAC के गठन का प्रावधान
2. 2016 में NCTC के पुनर्गठन के पुनःनिर्णय के साथ MAC के स्वरूप में परिवर्तन

189

अपहरण या लापता व्यक्तियों तथा चोरी हुए
आग्नेयास्त्रों के बारे में केन्द्रीकृत आँकड़ा
संग्रहण करना

185

NATGRID, 2014

190

सुरक्षा बलों, जाँच एजेंसियों एवं
आसूचना एजेंसियों के संदर्भ में सुझाव

191

1. सुरक्षा बलों एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए
2. उन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए
3. कार्यक्षमता के आधार पर प्रोन्नति की व्यवस्था हो

196

भारत में पुलिस बल की
चुनौतिया

192

4. एजेंसियों का राजनीतिकरण एवं राजनीतिक हितों हेतु प्रयोग बंद हो
5. एजेंसियों को तर्कसंगत स्वायत्ता दी जाए
6. आसूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण हो (कृष्णन आयोग)
7. सुरक्षा बलों हेतु वित्तीय आपूर्ति बढ़ाया जाय

197

1. पुलिस बल की अपर्याप्तता
2. आधुनिकीकरण का अभाव
3. राजनीतिक दबाव
4. भ्रष्टाचार
5. औपनिवेशिक मानसिकता
6. जनविश्वास की कमी
7. वित्त का अभाव

193

8. भ्रष्टाचार विरोधी कानून का समुचित क्रियान्वयन हो
9. सुरक्षा बलों को नैतिकता एवं मानवाधिकार की शिक्षा दी जाए
10. सोली सोराबजी समिति के सिफारिशों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जाए

198

समस्याओं के समाधान हेतु
किए गए प्रयास

194



Dr. S. S. Pandey

भारत में पुलिस सुधार

199

1. 1953 - प्रथम राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण (NCS) द्वारा पुलिस सुधार एवं पुलिस कानून, 1861 की जगह नए कानून के निर्माण की सिफारिश
2. उपरोक्त संदर्भ में 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (अध्यक्ष-धर्मवीर) का पुलिस सुधार हेतु गठन

195

भारत में पुलिस सुधार

भारत में पुलिस
बल की चुनौतिया

पुलिस सुधार हेतु
सुझाव

समस्याओं के समाधान
हेतु किए गए प्रयास

समीक्षा

200

3. 1996 में इस रिपोर्ट को लागू कराने हेतु प्रकाश सिंह एवं एन.के. सिंह द्वारा जनहित याचिका
4. 2 सितम्बर, 2006 में सोली सोराबजी कमेटी का गठन एवं इनकी सिफारिशों को लागू करने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-

201

(i) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हो ताकि—

- राज्य सरकारों के अवांछित प्रभाव को रोका जा सके
- सामान्य नीति एवं निर्देशों का निर्माण हो सके
- राज्य पुलिस के कार्यों के निष्पादन की सही समीक्षा हो सके

206

नोट:-

- ✓ 2008 में जस्टिस थॉमस समिति का गठन
- ✓ 2013 में **जे.एस. वर्मा समिति** की रिपोर्ट
- ✓ दिसम्बर, 2016 तक 17 राज्यों द्वारा अपने नए पुलिस अधिनियम बनाए गए, परन्तु उनमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से भिन्नता है

202

(ii) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से हो तथा न्यूनतम कार्यकाल **2 वर्ष** हो

(iii) 'पुलिस अधीक्षक' एवं 'थानेदार' का कार्यकाल भी न्यूनतम 2 वर्ष हो

(iv) कानून व्यवस्था एवं जाँच कार्य को अलग-अलग किया जाय

207

पुलिस सुधार हेतु सुझाव

203

(v) एक पुलिस 'अवस्थापना बोर्ड' का गठन हो जो **DSP** और उससे नीचे के अधिकारियों की प्रोन्नति, **स्थानांतरण** एवं **नियुक्ति** के बारे में निर्णय ले एवं उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की सिफारिश करें

208

1. पुलिस बल की संख्या में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण
2. पुलिस एवं जाँच विभाग का पृथक्करण
3. नैतिक शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा तथा संवेदनशीलता का विकास
4. 'समुदायिक पुलिसिंग' एवं 'मित्र पुलिस' का निर्माण
5. योग्यता, कार्य निष्पादन एवं दक्षता आधारित प्रोन्नति की व्यवस्था हो

204

(vi) **DSP** एवं उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लोक शिकायतों की जाँच हेतु राज्य स्तर पर तथा उससे नीचे के अधिकारियों के लिए जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हो

209

6. पुलिस कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण हो; इसे पारदर्शी बनाया जाए तथा बीट प्रणाली को पुनः स्थापित किया जाए
7. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए
8. सोली सोराबजी कमेटी की सिफारिशों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जाए

205

(vii) केन्द्र स्तर पर एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग' का गठन हो जो पुलिस संस्थाओं के प्रधानों के चयन एवं पदस्थापना के लिए पैनल तैयार करेगा एवं न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष सुनिश्चित करेगा

210

समीक्षा

211

1. दिल्ली पुलिस द्वारा **WhatsApp** पर **Anti Corruption Helpline** की शुरुआत
2. दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस कार्य एवं जाँच कार्य को विभाजित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ
3. केरल द्वारा 'सामुदायिक पुलिसिंग' प्रारंभ
4. **तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र** द्वारा अन्य देशों के पुलिस अकादमी के साथ संबद्धता बनाकर सुधार का प्रयास
5. परन्तु य प्रयास अभी भी अपर्याप्त एवं सीमित हैं

Dm

KGS



IAS